ालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

ठासीन अधिकारी : **बीनू देवल (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 244 / 2025(2025 / 662)

अनवान

1. जमनादेवी पत्नी ख्यालीलाल भोई नि.खेमपुरा भोईखेडा जिला उदयपुर

—वादीया

बनाम

1. अनिता पुत्री रामगोपाल लाल गर्ग नि.खेमपुरा हाल सादी तह.व जिला चित्तौडगढ
2. अनिल पिता भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. कमला देवी पुत्री भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. गत्रू देवी पुत्री भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. प्रहलाद पिता भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
6. भेरूलाल पिता भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
7. मीना पुत्री भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
8. विमला देवी पुत्री भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
9. संतोष देवी पत्नी स्व. भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
10. सोनिया पुत्री रामगोपाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
11. ग्राम सेवा सहमारी समिति लि.शाखा मानपुरा जरिये मैनेजर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.मानपुरा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री किशनलाल कुमावत अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक 30.04.2026

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीया ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया की वादीया एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम धोरडिया पटवार हल्का

Scanned with OKEN Scanner

के खाता संख्या 160 मे वर्णित आराजीयात 2455 रकबा 2.16 हे. भूमि स्थित विवादग्रस्त आराजीयात मे वादीया एंव प्रतिवादीगण का जमाबन्दी मे अंकन अनुसार हक हिस्सा निहित है। इसी अनुरूप मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर खेती करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात का आपसी बटंवाडा नही होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य प्रतिवर्ष लगान अदायगी एंव सीमा संबंधी वाद विवाद होता रहता है । वादीया ने प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से पांती बटवाडा कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण तैयार नहीं होने एंव दिनांक 01.05.2025 को आपसी सहमति से बटंवाडा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना कर देने से वाद पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे वादीया का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम धोरडिया पटवार हल्का नगरी के खाता संख्या 160 मे वर्णित आराजीयात का कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से वादीया का निहित हक हिस्से अनुसार बटंवाडा किए जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 09.02.2026 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार बस्सी से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। तहसील बस्सी से पत्रांक/राज/2026/210 दिनांक 24.03.2026 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होने से अन्तिम डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादीया के कथनो पर मनन किया। वादीया का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम धोरडिया पटवार हल्का नगरी के आराजी नम्बर 2455 रकबा 2.16 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	दिशा
1.	जमना देवी पत्नी ख्यालीलाल भोई नि.खेमपुरा भोईखेडा	2455 में से	1.44	पूर्वी दिशा
	कुल किता	01	1.44	–

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

	अनिता पुत्री रामगोपाल 1/2 सोनिया पुत्री रामगोपाल गर्ग 1/2 सा. देह खातेदार रहन :– ग्राम सेवा सहकारी समिति मानपुरा हिस्सा अनिता पर	2455	0.36	मध्य भाग
	कुल किता	01	0.36	
3	अनिल पुत्र भगवतीलाल 1/8 कमला देवी पुत्री भगवतीलाल 1/8 गन्नुदेवी पुत्री भगवतीलाल 1/8 प्रहलाद पुत्र भगवतीलाल 1/8 भेरूलाल पुत्र भगवतीलाल 1/8 मीना पुत्री भगवतीलाल 1/8 विमला देवी पुत्री भगवतीलाल 1/8 संतोष देवी पत्नी स्व. भगवतीलाल 1/8	2455 मे से	0.36	पश्चिमी भाग
	कुल किता	01	0.36	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू [illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. जमनादेवी पत्नी ख्यालीलाल भोई नि.खेमपुरा भोईखेडा जिला उदयपुर

—वादीया

बनाम

1. अनिता पुत्री रामगोपाल लाल गर्ग नि.खेमपुरा हाल सादी तह.व जिला चित्तौडगढ
2. अनिल पिता भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. कमला देवी पुत्री भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. गत्रू देवी पुत्री भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. प्रहलाद पिता भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
6. भेरूलाल पिता भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
7. मीना पुत्री भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
8. विमला देवी पुत्री भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
9. संतोष देवी पत्नी स्व. भगवतीलाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
10. सोनिया पुत्री रामगोपाल गर्ग नि.हाल सादी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
11. ग्राम सेवा सहमारी समिति लि.शाखा मानपुरा जरिये मैनेजर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.मानपुरा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : 244/2025 (2025/662)

वादी की ओर से वकील श्री किशनलाल कुमावत की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादीया का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम धोरडिया पटवार हल्का नगरी के आराजी नम्बर 2455 रकबा 2.16 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	दिशा
	जमना देवी पत्नी ख्यालीलाल भोई नि.खेमपुरा भोईखेडा	2455 में से	1.44	पूर्वी दिशा
	कुल किता	01	1.44	–
2.	अनिता पुत्री रामगोपाल 1/2 सोनिया पुत्री रामगोपाल गर्ग 1/2 सा. देह खातेदार रहन :– ग्राम सेवा सहकारी समिति मानपुरा हिस्सा अनिता पर	2455	0.36	मध्य भाग
	कुल किता	01	0.36	
3	अनिल पुत्र भगवतीलाल 1/8 कमला देवी पुत्री भगवतीलाल 1/8 गन्नुदेवी पुत्री भगवतीलाल 1/8 प्रहलाद पुत्र भगवतीलाल 1/8 भेरूलाल पुत्र भगवतीलाल 1/8 मीना पुत्री भगवतीलाल 1/8 विमला देवी पुत्री भगवतीलाल 1/8 संतोष देवी पत्नी स्व. भगवतीलाल 1/8	2455 मे से	0.36	पश्चिमी भाग
	कुल किता	01	0.36	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

यह आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा नजरिया हेतु ग्राम - चौसडीया तह० बस्सी
जिला - चित्तौड़गढ़ पैमाना - 1 सेमी = 40 मी०

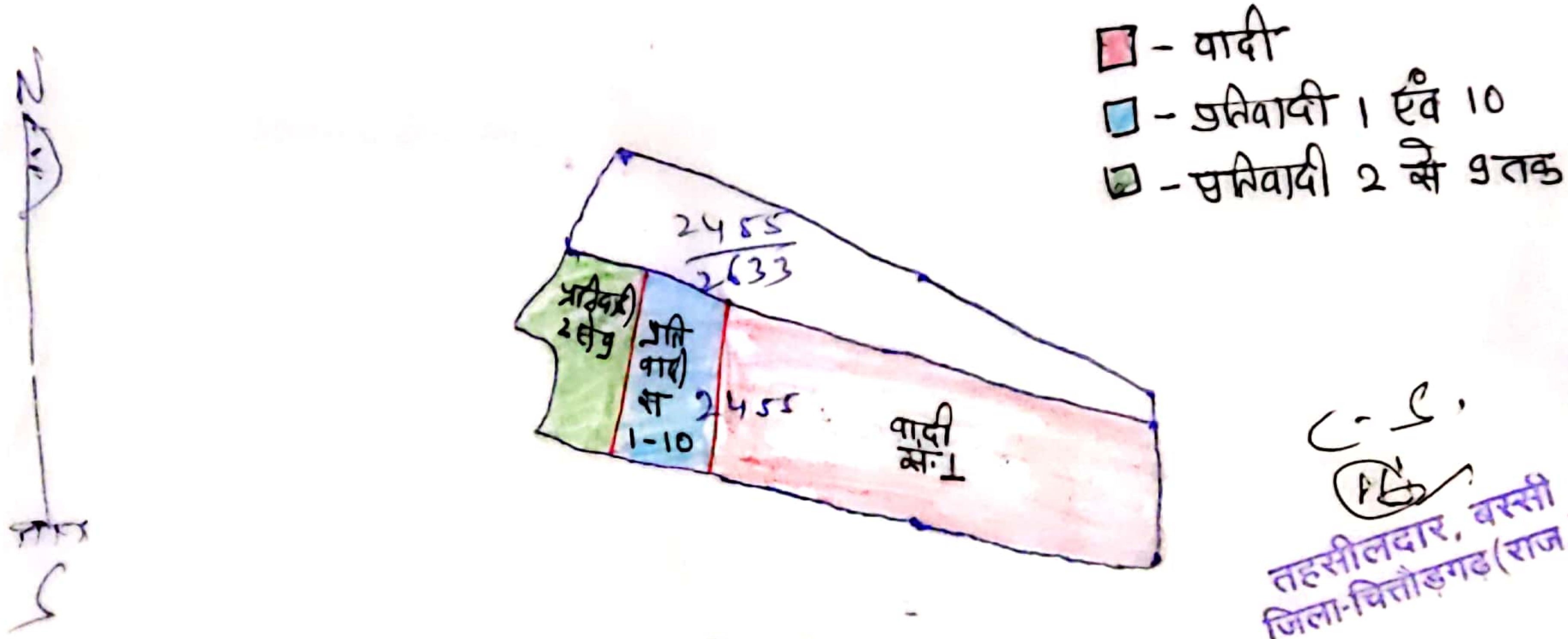

तहसीलदार, बस्सी
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)